कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज

पत्रांक/एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0/चयन/5448-53/2023–24 दिनांक :– 20/11/2023

विज्ञप्ति

राज्य परियोजना निदेशक महोदय, समग्र शिक्षा, निशातगंज, लखनऊ के पत्रांक : के0जी0बी0वी0/11308/2022–23 दिनांक 14.02.2023, शासनादेश संख्या–2805/68–5–2023–02/2020 दिनांक 01 फरवरी, 2023 एवं उ0प्र0 शासन के पत्रांकः 1553/68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर, 2020, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, लखनऊ के पत्रांक : के0जी0बी0वी0/1121/2023–24 दिनांक 25 अप्रैल, 2023 एवं शासनादेश संख्या– 68–5009/37/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, कासगंज के अनुमोदन दिनांक–28.03.2023 के अनुपालन में जनपद–कासगंज में संचालित कक्षा 6 से 8 के 08 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों व कक्षा 9 से 12 तक के 02 छात्रावासों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों पर नवीन चयन सेवा अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर निम्नलिखित शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों की आवश्यकता है।

क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	मानदेय प्रतिमाह	रिक्त पदों की विवरण				
				अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (विज्ञान)	जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	0	0	0	01	01
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (भाषा)	हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	01	0	0	0	01
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (अंग्रेजी)	अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	01	0	0	0	01
4	अंशकालिक शिक्षिका (उर्दू)	स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0।	13200.00	0	0	0	01	01
5	अंशकालिक शिक्षिका (स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा)	बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	9800.00	0	0	0	01	01
6	अंशकालिक शिक्षिका (कम्प्यूटर शिक्षा)	कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	9800.00	1	0	0	0	01
7	सहायक रसोईया	कक्षा–8 उत्तीर्ण	5175.00	0	3	0	0	03
8	चौकीदार	कक्षा–8 उत्तीर्ण	5750.00	0	0	0	01	01
		योग :–						10

1– पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।

2– कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका, जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या–के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षिका के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। आवेदक को तत्सम्बन्धी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3– उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी।

3– कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से "ओ लेवल"/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।

5– बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधि [illegible] किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 [illegible] अनिवार्य नहीं होगी।

6– प्रधान रसोईया/सहायक रसोईया/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी [illegible] शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होगा चाहिए। प्रधान रसोईया/सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

7– **आयु**–समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष अधिक न हो।

8– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षिका, जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षिका द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हों।

9– **आरक्षण**– राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

10– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका, जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे है, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।

11– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा–पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।

12– **चरित्र**–किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिय अर्ह नहीं होंगे। इस हेतु अन्तिम शैक्षिक संस्था/किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गम्भीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्व प्राथमि सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

13– **चयन उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, प्रधान रसोईया, चौकीदार एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जायेगा। पूर्ण कालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं की होगी।**

14– **उपरोक्त समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।**

15– आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबन्ध के आधार पर एक शैक्षिक सत्र (अधिकतम 11 माह 29 दिवस) हेतु होगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी सत्र के लिए सेवा अनुबन्ध का विस्तारीकरण किया जा सकता है।

16– उपर्युक्त रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को जनपद कासगंज की वेबसाइट पर क्लिक करके डाउनलोउ किया जा सकता है। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

17– लिफाफे पर ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालया में पद/विषय/जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा।

18– इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने **आवेदन पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को सायं 05:00 बजे तक** कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे, प्रहलादपुर सोरों रोड, कासगंज पिन–207403 को केवल स्पीड

BSA

पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते है। साधारण डाक, कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी दों स्व-प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, टी0ई0टी0 (उच्च प्राथमिक स्तर) एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ तथा अपने पता लिखे हुए 02 लिफ़ाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम व विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर, प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

19– विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित होगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के संधान रहेगी।

20– **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा। इसलिए पुरूष अभ्यर्थी उपरोक्त पद हेतु आवेदन न करें।**

21– आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक–आवेदन पत्र का प्रारूप।

20/11/2023

(राजीव कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज

पृ0सं0: एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0/चयन/ 5448-53 **/2023–24 दिनांक वही।**

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2–जिलाधिकारी, कासगंज।
3–मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।
4–उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एटा/कासगंज।
5–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति व विज्ञप्ति सूचना एन0आई0टी0 की वेबासाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6–समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–कासगंज को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को ब्लॉक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

20/11/2023

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कासगंज

C:\Users\HP\Desktop\NIYUKTI_KGBV_NOV_2023.docx